न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 184/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/361**
दायर दिनांक :– 07.07.2025 **निर्णय दिनांक :– 30.01.2026**

1. राजूसिंह पुत्र ईश्वरसिह जाति राजपूत निवासी नया गांव तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:निर्णय:–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा बडीसिड पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 278/440 रकबा 4.8967 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 76.4045 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 13 रकबा 12.8204 ग्राम नया गांव पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप में आई हुई है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर की भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी की राजकीय भूमि का खसरा नम्बर 12 व 13 ग्राम नया गांव पटवार क्षेत्र बडीसिड की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। असामाजिक लोग, प्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रार्थी को उक्त भूमि से आने जाने हेतु रास्ता अवरूद्व कर देते है जिसके कारण प्रार्थी को आने जाने हेतु परेशानी का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी की भूमि से लगती डामर सड़क जो मौके पर बाप से बीकानेर तक जाती है जिस सड़क मार्ग तक पहुंच हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

Satya
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

तहसीलदार बाप की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251क का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना'' – (1) जहां–

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उनका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है,

तो आदेश के द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह के कम से कम तीन फुट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा, जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट में से होकर एक नया मार्ग जो 30 फुट से अधिक चौड़ा नहीं, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिस में से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा किये जाने का अधिकार मंजूर किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा

(2) जहां उपधारा 1 के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में से अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में से ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखत कर दी जायेगी

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा 1 में से निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिस में होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगे।

उप खण्ड अधिकारी
बाप (मारवाड़)

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप की रिपोर्ट व मौका फर्द निम्नानुसार –

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर ग्राम बडीसिड के खसरा नंबर 278/440 में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम नया गांव के खसरा नंबर 12 व 13 में से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. ग्राम बडीसिड के खसरा नंबर 278/440 के निकटतम खसरा नंबर 12 के चिपती डामर सड़क है।
3. यदि ग्राम नया गांव के खसरा नंबर 12 व 13 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.6415 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थी हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रेषित मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रेषित मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव में बरंग से प्रदर्शित मार्ग बतौर 15 फीट चौड़ाई में गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नया गांव के खसरा नंबर 12 में से 0.6230 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 13 में से 0.0185 हैक्टेयर भूमि मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जावे तथा मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा प्रतिकर की राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)